न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 05/2026 बउनवानी तुलसी देवी **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पत्नि हरिमोहन जांगिड ग्राम व पोस्ट– तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2026/05

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **उप निबंधक,राजस्व मण्डल अजमेंर के आदेश कमांक राम/भू.अ./भूसू/शिका/प–29/2025/103340 दिनांक 3.10..2025 पर जिला कलेक्टर द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति** " अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(01)(167)/सूकाअ/2025/46 दिनांक 14.1.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10..2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध भू0अभिलेख अनुभाग से होने के कारण वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाने बाबत लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक समा/एफ.(1)(167)सूकाअ/2025/1313 दिनांक 6.11.2025 से प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग को लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग के पत्रांकः प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2025/6148 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.10.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 6148 दिनांक 18.11.2025 के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 5.5.2025 एवं 30.10.2025 मे चाही गयी सूचना समान प्रकृति की होने के कारण उक्त सूचना जरिये पत्रांक 3587 दिनांक 27.6.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु यह स्पष्ट नही किया कि पूर्व आवेदन पत्र पर अपीलान्ट को क्या सूचना उपलब्ध करवायी गयी है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा पृथक से शुल्क जमा करवाकर नये सिरे से आवेदन पत्र पेश किया गया है इसलिए अपीलान्ट को पुनः नये सिरे से सूचना उपलब्ध करवाया जाना उचित समझते है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू0अ0 को निर्देशित कि आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2025 के क्रम मे अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner